



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रतिभक्तार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]  
No. 2]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 1986/पौष 21, 1907

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 1986/PAUSA 21, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(लोक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1985

सा. का. नि. 16:—राष्ट्रपति, संविधान के अनु-खंड 309 के परम्युक्त द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अधिवेशन तकनीकी सलाहकार म्यूरो (लेखा और प्रायकर) ती नियम, 1970 तथा केन्द्रीय अधिवेशन म्यूरो तकनीकी प्रभाग में वर्ग 1 और वर्ग 2 पर भर्ती नियम, 1970 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करने हुए जिन्हें ऐसे अधिवेशन से पहले किया गया है या करने का भ्रम किया गया है, केन्द्रीय अधिवेशन म्यूरो में समूह "क" और समूह "ख" के कुछ पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अधिवेशन म्यूरो (समूह "क" और समूह "ख" तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1985 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना :—ये नियम इन नियमों में उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उक्त वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य शर्तें आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शर्तें और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहता: वह व्यक्ति—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगा।

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancy to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grantee from which promotion/deputation/transfer to be made.
9	10	11	12
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
13		14	
1. Head of Burns, Plastic and Max Surgery—Chairman 2. Specialist Grade I—Member 3. Chief Administrative Officer—Member		Not applicable	

[N. A-12018/68/85-RR (H)]

H. S. DHAKAALIA, Under Secy.

## परिवहन मंत्रालय

(अल, मूल परिवहन विभाग)

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1985

बुद्धि-पत्र

(बाणिज्य पोत परिवहन)

सा. का. नि. 29—भारत के राजपत्र भाग, 2 खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 16-3-1985 के पृष्ठ सं. 714 से 715 पर प्रकाशित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (नौवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 278, तारीख 1-3-1985, में—  
पृष्ठ 714 पर—

- (1) प्रारंभिक पैरा में, पंक्ति 4 में "व्यक्तियों" के स्थान पर "व्यक्तियों पक्षे" ।
- (2) नियम 2 पर्युक्त की पंक्ति 4 में "असाध्य" के स्थान पर "असाध्य " पक्षे ।

पृष्ठ 715 पर, अधिसूचना के अंत में टिप्पण में—

- (1) खंड 1 में पंक्ति 2 में "प्रकाशित" के स्थान पर "प्रकाशित" पक्षे ।
- (2) खंड (2) में पंक्ति 3 में "1975" शब्दों के स्थान पर "1974" शब्द पक्षे ।

[सं. एस डब्ल्यू/एम टी की (4)/80-एम टी]  
एस. सिंघल, अवर सचिव

## MINISTRY OF TRANSPORT

(Deptt. of Surface Transport)

(Shipping Wing)

New Delhi, the 20th December, 1985

CORRIGENDUM

(MERCHANT SHIPPING)

G.S.R. 29.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Shipping Wing) No. G.S.R. 278, dated the 1st March, 1985 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 16th March, 1985 at pages 715 to 717,—

(in page 715)—

- (1) in column I, in lines 13 and 14 for "and whereas the said Gazette was made available to the coived" read "And whereas no objection or suggestions have been received,".
- (2) in column II,—
  - (i) in line 12 for "sub-rule" read "sub-rules";
  - (ii) in line 37 for "necessary" read "necessary";
  - (iii) in line 57 for "erempt" read "exempt";
  - (iv) in line 60 for "said rule" read "said rules";
  - (v) in line 66 for "temporary" read "temporarily".

Page 716,—

- (1) In column I in line 8 for "(Crew Accommodation Rule," read "(Crew Accommodation) Rules,".

[No. SW/MTP(4)|80-MT]

S. SYNGHAL, Under Secy.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1985

सा. का. नि 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के पर्युक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/21/59 बी.ए. तारीख 27-5-1980 द्वारा जारी किए गए आकाशवाणी, प्रसारण केंद्र/कार्यालय, कतिपय वर्षों 4 पद शर्ती नियम, 1980 तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11/52/81-एस. 11/बी.ए. तारीख 11-4-1983 द्वारा जारी किए गए आकाशवाणी (वेकर/मजदूर) शर्ती नियम, 1983 को अधिष्ठात करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ब" पद) शर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ब" पद) शर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 है ।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्राकाशवाणी (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1964 को अनुसूची में क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

उपबन्ध "क"

सूचना और प्रसारण मंत्रालय महानिदेशक/प्राकाशवाणी

स्टुडियो परिसर और स्टुडियो गाईड पद के लिए भर्ती नियम

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद अथवा प्रचयन पद	मेधा में जोड़े गए वर्गों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
18. स्टुडियो परिसर	59 समूह "घ" अराजपक्षित		210-4-250 ब. र. -5-270 रु०	प्रचयन	लागू नहीं होता	25 वर्ष भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों की दशा में शिथिल की जा सकती है।
19. स्टुडियो गाईड	23 समूह "घ" अराजपक्षित		200-3-208-4-234 ब. र. -4 250 रु०	प्रचयन	लागू नहीं होता	25 वर्ष भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों की दशा में शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा की अवधि यदि कोई हो विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोबत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

8	9	10
18. मिडिल स्कूल स्तर, सुगठित शरीर, कर्मठ तथा अंग्रेजी बोलने और समझने की योग्यता	नहीं	दो वर्ष
19. मिडिल स्कूल स्तर, सुगठित शरीर, कर्मठ तथा अंग्रेजी बोलने और समझने की योग्यता	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति अर्थात् सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व/स्वानास्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्वानास्तरण द्वारा भर्ती की दशा में के श्रेणियों बिनासे प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्वानास्तरण किया जाएगा					
11	12					
18. प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्वानास्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :- उसी कार्यालय के स्टुडियो गाई, इफतरी और सार्टर स्वानास्तरण :- आकाशवाणी के ग्रन्थ केन्द्रों/कार्यालयों के स्टुडियो परिवार ।					
19. प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्वानास्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :- आकाशवाणी के उसी कार्यालय/केन्द्र के अपरासी स्वानास्तरण :- आकाशवाणी के ग्रन्थ केन्द्रों/कार्यालयों के स्टुडियो गाई					
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।					
13	14					
18. (i) केन्द्र/कार्यालय का प्रधान -- अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (एन एस डी) ए एस. डी-1 ए एस ई) जहाँ केन्द्र/कार्यालय का भारसाधक ए एस डी/ ए एस ई है वहाँ पी ई एक्स/ए ई में से एक को नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा--सदस्य (iii) ए ओ/एच सी (जहाँ ए ओ/ एच सी उपलब्ध नहीं है वहाँ वह किसी ऐसे ग्रन्थ अधिकारी) को, जो ग्रन्थियों के कार्य से सुपरिचित हो, सहयोजित किया जा सकेगा--सदस्य	नागू नहीं होता					
19. (i) केन्द्र/कार्यालय का प्रधान--अध्यक्ष (ii) उप-निदेशक (एनएसडी)/ए एस डी-(ए एस ई) जहाँ केन्द्र/कार्यालय का भारसाधक ए एस डी/ ए एस ई है वहाँ पी ई एक्स/ए ई में से एक को नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा--सदस्य (iii) ए ओ/एच सी (जहाँ ए ओ/एच सी उपलब्ध नहीं है वहाँ किसी ऐसे ग्रन्थ अधिकारी) को, जो ग्रन्थियों के कार्य से सुपरिचित हो, सहयोजित किया जा सकेगा--सदस्य	नागू नहीं होगा					
1	2	3	4	5	6	7
20. पैकर/भंडार	9	समूह "ब" अराजपक्षित	198-3-220- ब.रो.-3-232* पञ्चयत	पञ्चयत	नागू नहीं होता	18-25 वर्ष ट्रिपल--आयु सीमा श्व- धारित करने के लिए निर्णायक तारीख यह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
8	9	10	11	12		
आवश्यक :- पार्सल बैंक करने और खोलने तथा पार्सल भेजने का कुछ अनुभव बांछनीय :- हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की योग्यता ।	नागू नहीं होता	दो वर्ष	अतःप्रतिगत सीधी भर्ती द्वारा आरंभिक प्रक्रम पर रिक्तियाँ ऐसे आकस्मिक श्रमिकों में से भरी जाएंगी जो विविध भारती सेवा में कार्य कर रहे हैं और समय- समय पर जारी किए गए सरकारी अनु- देशों के निबन्धनों के अनुसार समूह "घ" पदों पर विनियमित किए जाने के पात्र हैं ।	नागू नहीं होगा		

13

14

- (i) केन्द्र कार्यालयों का प्रधान- - अध्यक्ष लागू नहीं होता
- (ii) सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र इन्जीनियर (कार्यक्रम कार्यपाल/सहायक इन्जीनियर) जहाँ सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक इन्जीनियर कार्यालय का प्रधान है- - सदस्य

भूमि नियम, जिसका संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (नमूना "ब" पद) भर्ती नियम, 1964 कहा जाना है अधिसूचना सं. 11(3)/60-बी (ए) तारीख 30-11-1964 (सा. का. नि. सं. 1777 ता. 30-11-1964) द्वारा अधिसूचित किए गए थे प्रारंभ तत्पश्चात् उनके निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं :-

1. अधिसूचना सं. 11(5)/60-बी (ए) तारीख 18-11-1965
2. अधिसूचना सं. 7/2/67-बी (ए) तारीख 16-6-1967
3. अधिसूचना सं. 20/4/67-बी (ए) तारीख 11-1-1968
4. अधिसूचना सं. 7/1/68-बी (ए), तारीख 7-3-1968
5. अधिसूचना सं. 11/12/70-बी (ए), तारीख 15-4-1968
6. अधिसूचना सं. 1/17/73-बी (ए), तारीख 13-11-1975
7. अधिसूचना सं. 1/17/73-बी (ए), तारीख 18-2-1976
8. अधिसूचना सं. 1/1/76-बी (ए) तारीख 28-9-1976
9. अधिसूचना सं. 1/12/76-बी (ए), तारीख 12-5-1976
10. अधिसूचना सं. 12019/5/76-बी (ए), तारीख 21-8-75
11. अधिसूचना सं. सं. 12019/4/78-बी (ए) तारीख 5-8-1978
12. अधिसूचना सं. 1/17/73-बी (ए), तारीख 10-9-1976
13. अधिसूचना सं. 1/13/75-बी (ए) तारीख 9-1-1981
14. अधिसूचना सं. 1/13/75-बी (ए), तारीख 7-9-1981
15. अधिसूचना सं. 11/52/81-एस-2/बी (ए), तारीख 11-4-1983
16. अधिसूचना सं. 11/31/84-एस-2/बी (ए) तारीख 16-3-1985

[सं. एक. 11/21/84-एस-2 बी (ए)]

पी० एम० टोकस, अवर सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd December, 1985

G.S.R. 30—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio Broadcasting Stations/Offices 'Certain Class IV posts' Recruitment Rules, 1960 issued vide Ministry of Information and Broadcasting's notification number 8/21/59-BA dated 27-5-1960 and All India Radio (Packer/Mazdoor) Recruitment Rules, 1983 issued vide Ministry of Information and Broadcasting notification number 11/52/81-S.II(BA) dated 11-4-1983, the President hereby makes the

following rules further to amend the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1964, namely.

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1985.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the schedule to the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1964 after S. No. 17 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule of 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Studio Attendant	59	Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 210-4-250-EB-5-270	Non-Selection	Not-applicable	25 years relaxable in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.	Middle school Standard well built, active and able to speak and understand English.

1	2	3	4	5	6	7	8
19. Studio Guard	23	Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	Non-Selection	Not applicable	25 years relaxable in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.	Middle school standard, well built, active and able to speak and understand English.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	Rectt. whether by direct or by deputation/transfer	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14		
18. No	Two years	By promotion failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Promotion : Studio Guards, Daftries and Sorters in the same office. Transfer : Studio Attendant from other stations/offices of All India Radio.	Promotion : Studio Guards, Daftries and Sorters in the same office. Transfer : Studio Attendant from other stations/offices of All India Radio.	(i) Head of Station/ Office—Chairman (ii) Deputy Director (in case of News Services Division)/Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer (where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is in-charge of a station/ office, one of the Programme Executive/ Assistant Engineer may be nominated) —Member (iii) Administrative Officer/Head Clerk (where Administrative Officer/Head Clerk are not available, any other officer who is familiar with the work of the candidates may be associated) —Member	(i) Head of Station/ Office—Chairman (ii) Deputy Director (in case of News Services Division)/Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer (where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is in-charge of a station/ office, one of the Programme Executive/ Assistant Engineer may be nominated) —Member	Not applicable
19. No	Two years	By promotion failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Promotion : Peons in the same office/ Station of All India Radio. Transfer : Studio Guards from other stations/offices of All India Radio.	Promotion : Peons in the same office/ Station of All India Radio. Transfer : Studio Guards from other stations/offices of All India Radio.	(i) Head of Station/ Office—Chairman (ii) Deputy Director (in case of News Services Division)/Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer (where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is in-charge of a station/ office, one of the Programme Executive/ Assistant Engineer may be nominated) —Member	(i) Head of Station/ Office—Chairman (ii) Deputy Director (in case of News Services Division)/Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer (where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is in-charge of a station/ office, one of the Programme Executive/ Assistant Engineer may be nominated) —Member	Not applicable

9	10	11	12	13	14
					(iii) Administrative Officer/ Head Clerk (where Administrative Officer/Head Clerk are not available, any other officer who is familiar with the work of the candidates may be associated)—Member

1	2	3	4	5	6	7	8
20. Packer, Mazdoor	9	Group 'D' Non- Gazetted	Rs. 196-3- 220-EB-3- 232	Non- Selection	Not applicable	18-25 years Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange are requested to forward nomination.	Essential : Some experience of packing and unpacking of parcels and despatching of parcels. Desirable : Ability to read and write Hindi and English.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	Direct recruitment 100% (in the initial stage the vacancies will be filled up from amongst the casual labourers who have been working in the Vividh Bharati Service and are eligible for regularisation in Group 'D' posts in terms of Government instructions issued from time to time.	Not applicable	(i) Head of Station/ Office—Chairman (ii) Assistant Station Director/Assistant Station Engineer (Programme Executive/ Assistant Engineer where Assistant Station Director/ Assistant Station Engineer is the head of Office)—Member (iii) Administrative Officer/Head Clerk—Member	Not applicable

The Principal Rules called the All India Radio (Group 'D' posts, Recruitment Rules, 1964 were notified vide Notification No. 11(5)/60-B(A) dated 30-11-1964 (GSR No. 1777 dated 30-11-1964). Subsequently the following amendments were notified :—

1. Notification No. 11(5)/60-B(A), dated 18-1-1965
2. Notification No. 7/2/67-B(A), dated 16-6-1967
3. Notification No. 20/4/67-B(A), dated 11-1-68
4. Notification No. 7/1/68-B(A), dated 7-3-68
5. Notification No. 11/12/70-B(A), dated 15-4-1968
6. Notification No. 1/17/73-B(A), dated 13-11-1975
7. Notification No. 1/17/73-B(A), dated 18-2-1976
8. Notification No. 1/1/76-B(A), dated 28-9-1976
9. Notification No. 1/12/76-B(A), dated 12-5-1976
10. Notification No. 12019/5/76-B(A), dated 21-6-78
11. Notification No. 12019/4/78-B(A), dated 5-8-1978
12. Notification No. 1/17/73-B(A), dated 10-9-1976
13. Notification No. 1/13/75-B(A), dated 9-1-1981
14. Notification No. 1/13/75-B(A), dated 7-9-1981
15. Notification No. 11/52/81-S II/B(A), dated 11-4-1983
16. Notification No. 11/31/84-S. II/B(A), dated 16-3-1985

[No. F. 11/21/84-S. II/B(A)]  
P.S. TOKAS, Under Secy.

